न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, एफ०टी०सी०–द्वितीय/

रेप एण्ड पाक्सो ऐक्ट, कोर्ट नं०–1, बहराइच

उपस्थितः अनिल कुमार XII (उच्चतर न्यायिक सेवा)

विशेष सत्र परीक्षण संख्या–79/2018

UPBH010026882018

अपराध संख्या–51/2018,
धारा– 363,366 भा०दं०सं०
व धारा–17/18 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम,
थाना–रानीपुर,
जनपद–बहराइच

अभियोगी	**राज्य उत्तर प्रदेश** **वादी मुकदमा**–राजदेव उर्फ गुड्डू पुत्र मुंशी, साकिन भभ्भरपुर चक डीहा, थाना रानीपुर, जनपद बहराइच
अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता	1– श्री सुरेन्द्र कुमार मौर्या, एडवोकेट, विशेष लोक अभियोजक (पाक्सो ऐक्ट) एवं 2– श्री राम छबीले शुक्ला, पंजीकरण संख्या– 468/1969
अभियुक्त	**मनोज कुमार वर्मा पुत्र संतोषी, निवासी रमवापुर, मौजा टेड़वा अल्पीमिश्र, थाना फखरपुर, जनपद बहराइच।**
अभियुक्त के अधिवक्ता	श्री भूपेन्द्र सिंह, एडवोकेट, पंजीकरण संख्या–4027/2000, श्री राम, एडवोकेट, पंजीकरण संख्या–575/2013

फार्म–बी

घटना की तिथि	15.05.2018
प्रथम–सूचना रिपोर्ट की तिथि	17.05.2018
आरोप–पत्र की तिथि	07.06.2018
आरोप तय होने की तिथि	25.09.2018
साक्ष्य प्रारम्भ होने की तिथि	28.11.2018
निर्णय सुरक्षित रखने की तिथि	07.07.2026
निर्णय तिथि	16.07.2026

Digitally signed by ANIL KUMAR
Date: 2026.07.21 11:23:38 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

सजा सुनाने की तिथि, यदि कोई हो	निल

अभियुक्त विवरण

क्र०	आरोपी का नाम	गिरफ्तारी तिथि	जमानत पर रिहाई तिथि	आरोप लगाया गया	दोषमुक्त अथवा दोषसिद्ध	सजा सुनाई गयी	संहिता की धारा 428 के हिरासत की परीक्षण अवधि के दौरान भुगते गये कष्ट
1	मनोज कुमार वर्मा	20.05.18	28.06.18	25.0918	दोषमुक्त	निल	निल

फार्म–सी
(अभियोजन/बचाव/कोर्ट गवाहों की सूची)

क) अभियोजन पक्ष

रैंक	**नाम**	**साक्षी का प्रकार**
पी०डब्लू०–1	पीड़िता	पीड़िता
पी०डब्लू०–2	राजदेव उर्फ गुड्डू	वादी मुकदमा
पी०डब्लू०–3	डा० मधू गैरोला	चिकित्सक साक्षी
पी०डब्लू०–4	हे० मो० श्याम बहादुर	एफ०आई०आर० लेखक
पी०डब्लू०–5	उ०नि० राम बड़ाई	विवेचक
पी०डब्लू०–6	आकांक्षा सिंह	इं० प्रधानाध्यापक

ख) बचाव पक्ष

रैंक	**नाम**	**साक्षी का प्रकार**
निल		

ख)कोर्ट विटनेस

रैंक	नाम	साक्षी का प्रकार
निल		

(अभियोजन/बचाव/कोर्ट प्रदर्श की सूची)

क) अभियोजन पक्ष

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरण

1	प्रदर्श क–1/पी०डब्लू०–1	फर्द बरामदगी (पीड़िता)
2	प्रदर्श क–2/पी०डब्लू०–1	बयान अंतर्गत धारा 164 दं०प्र०सं०
3	प्रदर्श क–3/पी०डब्लू०–2	मूल तहरीर
4	प्रदर्श क–4/पी०डब्लू०–3	मेडिकल रिपोर्ट
5	प्रदर्श क–5/पी०डब्लू०–4	चिक एफ०आई०आर०
6	प्रदर्श क–6/पी०डब्लू०–4	कायमी जी०डी०
7	प्रदर्श क–7/पी०डब्लू०–5	नक्शा नजरी
8	प्रदर्श क–8/पी०डब्लू०–5	आरोप–पत्र
9	प्रदर्श क–9/पी०डब्लू०–6	प्रवेश पंजिका की स्व–प्रमाणित प्रति

ख) बचाव पक्ष

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरण
निल		

ग) कोर्ट प्रदर्श

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरण
निल		

घ) वस्तु प्रदर्श

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरण
निल		

निर्णय

1– विशेष सत्र परीक्षण संख्या 79/2018 अपराध संख्या–51/2018, में पुलिस थाना–रानीपुर, जनपद बहराइच द्वारा अभियुक्त मनोज कुमार वर्मा के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 363,366 भा०दं०सं० व 17/18 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (बाद में 'पाक्सो ऐक्ट' लिखा जायेगा), थाना–रानीपुर, जनपद बहराइच में आरोपत्र विशेष न्यायाधीश, रेप एवं पाक्सो ऐक्ट, न्यायालय में प्रेषित

किया गया, जिस पर उक्त विशेष न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त धाराओं में आरोप का संज्ञान लिया गया एवं तदोपरांत जनपद न्यायाधीश महोदय के अंतरण आदेश द्वारा यह पत्रावली इस न्यायालय में प्राप्त होकर विचारण किया गया।

2– प्रस्तुत प्रकरण में प्रेषित आरोप–पत्र में पीड़िता की आयु 18 वर्ष से कम दर्शित करने के कारण भारतीय न्याय संहिता की धारा–72(2) के प्राविधानों एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित न्याय दृष्टांत **निपुन सक्सेना बनाम भारत संघ व अन्य [2019(2) एस०सी०सी० 703]** के सिद्धान्त के आलोक में पीड़िता के नाम का उल्लेख न करके उसे "पीड़िता" नाम से सम्बोधित किया जा रहा है।

3– अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी मुकदमा राजदेव उर्फ गुड्डू पुत्र मुंशी, साकिन भभ्भरपुर (चकडिहा), थाना रानीपुर, जनपद बहराइच ने दिनांक 17.05.2018 को थाना रानीपुर में इस आशय का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया कि दिनांक 15.05.2018 को समय करीब तीन बजे दिन में विपक्षी मनोज निवासी रमवापुर टेण्डवा, उसकी लड़की पीड़िता को कुट्टी बाजार, थाना रानीपुर से बहला फुसला कर हेतु आशनाई अपने साथ भगा ले गया है। अतः प्रार्थना है कि उचित कार्यवाही की जावे।

4– उक्त सूचना/लिखित तहरीर के अनुक्रम में थाना रानीपुर की पुलिस द्वारा दिनांक 17.05.2018 को समय 16.01 बजे अभियुक्त मनोज कुमार वर्मा के विरुद्ध अंतर्गत धारा 363,366 भा०दं०सं० में मुकदमा अपराध संख्या–51/2018 अंकित किया गया एवं दौरान विवेचना, विवेचक द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी तैयार किया गया, गवाहान का बयान अंकित किया गया एवं विवेचक द्वारा उपरोक्त अभियुक्त के विरुद्ध अंतर्गत धारा 363,366 भा०दं०सं० व 17/18 पाक्सो ऐक्ट में आरोप–पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया।

5– विशेष न्यायालय पाक्सो ऐक्ट द्वारा अपराध का संज्ञान लिया गया। अभियुक्त को नकलें अन्तर्गत धारा 207 दं०प्र०सं० प्रदान की गयी।

6– तत्कालीन विशेष न्यायाधीश, रेप ऐण्ड पाक्सो ऐक्ट, बहराइच/अष्टम अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा दिनांक 25.09.2018 को अभियुक्त के विरूद्ध धारा 363,366 भा०दं०सं० व 17/18 पाक्सो ऐक्ट में आरोप विरचित किया गया। अभियुक्त ने आरोप से इंकार करते हुए विचारण की मांग किया। बाद अंतरण पत्रावली इस

न्यायालय को प्राप्त हुई।

7– अभियोजन पक्ष द्वारा अभियोजन कथानक के समर्थन में अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में निम्न दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये गये हैं–

प्रदर्श संख्या	विवरण
प्रदर्श क–1	फर्द बरामदगी (पीड़िता)
प्रदर्श क–2	बयान अंतर्गत धारा 164 दं०प्र०सं०
प्रदर्श क–3	मूल तहरीर
प्रदर्श क–4	मेडिकल रिपोर्ट
प्रदर्श क–5	चिक एफ०आई०आर०
प्रदर्श क–6	कायमी जी०डी०
प्रदर्श क–7	नक्शा नजरी
प्रदर्श क–8	आरोप–पत्र
प्रदर्श क–9	प्रवेश पंजिका की स्व–प्रमाणित प्रति

उक्त के अतिरिक्त अन्य कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये।

8– अभियोजन द्वारा अपने अभियोजन कथानक के समर्थन में मौखिक साक्षी के रूप में निम्न साक्षियों को परीक्षित कराया गया है–

पी०डब्लू०–1	पीड़िता	पीड़िता
पी०डब्लू०–2	राजदेव उर्फ गुड्डू	वादी मुकदमा
पी०डब्लू०–3	डा० मधू गैरोला	चिकित्सक साक्षी
पी०डब्लू०–4	हे० मो० श्याम बहादुर	एफ०आई०आर० लेखक
पी०डब्लू०–5	उ०नि० राम बड़ाई	विवेचक
पी०डब्लू०–6	आकांक्षा सिंह	इं० प्रधानाध्यापक

उक्त के अतिरिक्त किसी अन्य साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है। विद्वान विशेष लोक अभियोजक (पाक्सो) द्वारा अभियोजन को कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किये जाने का पृष्ठांकन किये जाने के उपरांत अभियोजन का साक्ष्य समाप्त किया गया।

9– दिनांक 02.06.2026 को अभियुक्त का बयान अन्तर्गत धारा 313

दं०प्र०सं० अंकित किया गया, जिसमें अभियुक्त द्वारा घटना को गलत होना, साक्षी पी०डब्लू०–1 के बयान के सम्बन्ध में कथन किया कि उसने कुछ नहीं किया है, साक्षी पी०डब्लू०–2 गलत बयान दे रहे हैं, साक्षी पी०डब्लू०–3 लगायत पी०डब्लू०–6 के बयान के सम्बन्ध में कुछ नहीं जानना कहते हुए अपने विरुद्ध मुकदमा पुरानी रंजिश के कारण चलना कहा है तथा सफाई साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का कथन किया। उक्त के अतिरिक्त कुछ और कथन नहीं किया।

अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा सफाई साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने से इंकार किया गया, जिस कारण पत्रावली बहस में नियत की गयी।

10– विद्वान विशेष लोक अभियोजक (पाक्सो) एवं अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभियुक्त पर लगाये गये आरोप के परिप्रेक्ष्य में उभयपक्ष की बहस को सुना गया।

11– अभियोजन की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियोजन कथानक साक्षियों के बयान से साबित है। अतः अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जाये, जबकि अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियोजन साक्षियों के बयानों में भिन्नता है, पीड़िता वयस्क है, अभियुक्त का पीड़िता के गांव में रिश्तेदारी है, जिस कारण दोनों का आपस में एक–दूसरे के गांव आना–जाना था, बरामदगी स्थल साबित नहीं है, जिसका लाभ अभियुक्त को प्रदान करते हुए दोषमुक्त किया जावे।

12– उभयपक्षों की ओर से प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध समस्त मौखिक एवं परिलेखीय साक्ष्य का सम्यक परिशीलन किया गया।

<u>निष्कर्ष</u>

13– प्रस्तुत मामले में पत्रावली पर उपलब्ध सम्पूर्ण मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य के माध्यम से यह देखा जाना है कि अभियोजन पक्ष अपना केस एवं अभियुक्त पर लगाये गये आरोपों को युक्तियुक्त रूप से संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है अथवा नहीं?

14– इसके लिये न्यायालय के विचार से प्रस्तुत मामले को अंतिम रूप से निर्णीत करने के लिये निम्नलिखित अवधार्य विन्दु विरचित किये जाते हैं।

(i)– क्या पीड़िता घटना के समय अवयस्क थी?

(ii)–क्या अभियोजन के स्थानीय थाने से सम्बन्धित मुकदमा अपराध संख्या 51/2018 अंतर्गत धारा 363, 366 भा०दं०सं० व धारा 17/18 पाक्सो ऐक्ट के मामले में अभियुक्त मनोज कुमार वर्मा द्वारा आरोपित अपराध किया गया है?

15– यह अवधार्य बिन्दु अभियुक्त पर विरचित आरोप अंतर्गत धारा 363, 366 भा०दं०सं० व धारा 17/18 पाक्सो ऐक्ट से सम्बन्धित है।

धारा 363 भा०दं०सं० में यह उपबंधित है कि जो कोई किसी व्यक्ति को भारत से या विधिपूर्ण संरक्षकता से व्यपहरण करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से दण्डित किया जाएगा, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

धारा 366 भा०दं०सं० में यह उपबंधित है कि जो कोई भी किसी स्त्री का अपहरण या अगवा इस इरादे से करता है कि उसे उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी व्यक्ति से विवाह करने के लिए विवश किया जाए, या यह जानते हुए कि ऐसा होने की संभावना है, या उसे अवैध यौन संबंध के लिए विवश या बहकाया जाए, या यह जानते हुए कि ऐसा होने की संभावना है, उसे किसी भी प्रकार के कारावास से दस वर्ष तक की अवधि के लिए दंडित किया जाएगा, और वह जुर्माने का भी हकदार होगा; और जो कोई भी इस संहिता में परिभाषित आपराधिक धमकी या अधिकार के दुरुपयोग या किसी अन्य प्रकार के दबाव के माध्यम से किसी महिला को किसी स्थान से इस इरादे से जाने के लिए प्रेरित करता है कि उसे किसी अन्य व्यक्ति के साथ अवैध यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर या बहकाया जा सकता है, या यह जानते हुए कि ऐसा होने की संभावना है, तो वह भी उपरोक्त अनुसार दंडनीय होगा।

इसी प्रकार **धारा 17 पाक्सो ऐक्ट** में दुष्प्रेरण के लिए दण्ड का प्रावधान है, जिसमें यह प्रावधानित है कि जो कोई इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का दुष्प्रेरण करता है, यदि दुष्प्रेरित कार्य, दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप किया जाता है, तो वह उस दण्ड से दण्डित किया जाएगा, जो उस अपराध के लिए उपबंधित है।

<u>स्पष्टीकरण</u>– कोई कार्य या अपराध, दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप तब किया गया कहा जाता है, जब वह उस उकसाहट के परिणामस्वरूप या उस षड़यंत्र के

अनुसरण में या उस सहायता से किया जाता है, जिससे दुष्प्रेरण गठित होता है।

धारा 18 पाक्सो ऐक्ट में यह प्रावधानित है कि जो कोई इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय कोई अपराध करने का प्रयत्न करेगा या ऐसे अपराध कारित कराएगा और ऐसे प्रयत्न में अपराध के किए जाने की दिशा में कोई कार्य करेगा, वह उस अपराध के लिए उपबन्धित किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि, यथास्थिति, आजीवन कारावास की आधी या उस अपराध के लिए उपबन्धित कारावास की सबसे लम्बी अवधि की आधी तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

16– अभियोजन की ओर से परीक्षित कराये गये साक्षी **पी०डब्लू०–1 पीड़िता** ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है, "घटना को लगभग छः माह हो रहा है। मैं अपनी माता के साथ आज अदालत पर बयान देने आयी हूं। घटना वाले दिन घटना के समय मैं कुट्टी बाजार गयी थी। वहां पर मुझको अभियुक्तगण मिले। सभी लोग मुझे जबरदस्ती बाजार से पकड़ लिया और फिर मेरा मुंह दाब कर जबरदस्ती मोटरसाइकिल पर बैठा कर रमवापुर ले गये और वहां पर देशराज के घर में रखा था। फिर तीन दिन बाद मुझे मुल्जिम मनोज मुझे लेकर कुट्टी बाजार आ गया, जहां पर पुलिस ने मुझे मेरी मां और पिता के सामने बरामद किया था। पुलिस को देख कर मनोज भाग गया था। मुझे बरामद करने के बाद पुलिस ने मौके पर लिखा पढ़ी की थी। लिखा पढ़ी करने के बाद पुलिस ने फर्द बरामदगी पर मेरा हस्ताक्षर करवाया था। मेरी बरामदगी के समय मौके पर मेरे माता–पिता भी थे। संलग्न पत्रावली फर्द बरामदगी पीड़िता को पढ़कर सुनाया गया व दिखाया गया तो पीड़िता ने उस पर बने अपने हस्ताक्षर की पुष्टि की, जिस पर **प्रदर्श क–1** डाला गया। पुलिस ने मेरी डाक्टरी करायी थी। पुलिस ने मेरा बयान लिया था। साक्षी को उसका बयान 161 दं०प्र०सं० पढ़कर सुनाया गया तो उसने बताया कि वह बयान मनोज के धमकाने के कारण डर से पुलिस को दिया था। मनोज ने मुझसे कहा था कि अगर पुलिस को मेरे खिलाफ बयान दोगी तो तुझे जिन्दा नहीं छोड़ेगा। इसीलिए मैंने उनको उसके बताने के अनुसार बयान दिया था। पुलिस मजिस्ट्रेट साहब के पास मेरा बयान कराया था। शामिल मिसिल पीड़िता बयान 164 दं०प्र०सं० सीलबंद लिफाफा अदालत में खोला गया और साक्षी को पढ़कर सुनाया व दिखाया गया तो उसने उस पर चस्पा अपने फोटो व हस्ताक्षर की पुष्टि की, जिस पर **प्रदर्श क–2** डाला गया। साक्षी ने कहा कि मैंने यह बयान मनोज के डर से उसके बताने के अनुसार मजिस्ट्रेट साहब को

दिया था। मनोज ने मुझसे कहा था कि मेरे खिलाफ अगर गवाही दोगी तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। इसलिये मैंने मनोज के बताने के अनुसार ही डरवश अपना बयान दिया था। अपनी इच्छा के अनुसार नहीं दिया था। मैं कक्षा पांच तक पढ़ी हूं। मेरे गायब हो जाने की सूचना थाने पर मेरे पिता जी ने दिया था।"

बचाव पक्ष की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने कथन किया है, "मेरे घर से रमवापुर लगभग 35 किमी है। इस मुकदमे की एफ०आई०आर० मैंने लिखायी थी। मैं थाने गयी थी। मैं रात को कुट्टी बाजार पहुंची थी। रात में साढ़े पांच बजे थे। मुकेश कुमार निवासी मदरहा, थाना मोहम्मदपुर जिला बाराबंकी को मैं नहीं जानती हूं। मुकेश कुमार मेरे पति नहीं हैं। मुझे पुलिस ने दारा 164 दं०प्र०सं० के बयान के लिये अदालत पर लायी थी। मैंने 164 दं०प्र०सं० के बयान में मैं पढ़ी–लिखी नहीं हूं, यह कैसे लिख गया, मैं नहीं जानती हूं। हमें नहीं मालुम है। मैंने कोर्ट मैरिज में अपनी उम्र 19 वर्ष नहीं लिखाया है। मैंने मुकदमा थाने पर जाकर नहीं लिखवाया था। मैं अपने माता–पिता के साथ थाने पर नहीं गयी थी। मुझे पुलिस ने कुट्टी से पकड़ा था। मेरे माता–पिता वहीं पर थे। मैंने दरोगा जी से यह नहीं कहा कि मेरे माता–पिता मुझे मारते–पीटते थे। दरोगा जी ने मेरा कोई बयान नहीं लिया था, धारा 161 दं०प्र०सं० का। मदरहा से मेरा गांव ज्यादा दूर पर है। मदरहा गांव से मेरे माता–पिता नहीं आये थे। मैं मदरहा गांव नहीं गयी थी। कोर्ट में अभियुक्त द्वारा दिखाये गये कोर्ट मैरिज के पेपर को दिखाते हुए कहा कि आप का फोटो है, तो पीड़िता ने कहा कि यह फोटो हमारा नहीं है। पत्रावली में दाखिल मेडिकल पर लगा फोटो देखकर कहा कि यह मेरा फोटो है। कोर्ट मैरिज पर बने हुए हस्ताक्षर देखकर कहा कि यह हमारा फोटो नहीं है। मुझे मनोज के घर में पूरब किसी का घर नहीं है। मुझे उसके घर के चौहद्दी के बारे में कोई जानकारी नहीं है। मैंने पहले मुकदमा लिखाने की बात कही थी। फिर बाद में कहा कि मुकदमा नहीं लिखाया था। पहले वाली बात नहीं सही है। बाद में कहा कि वह सही है। कुट्टी बाजार हमारे घर से दो किमी दूर है। मेरे घर से रानीपुर थाना तीन किमी दूर है। मेरे पिता जी मुझे थाने नहीं ले गये थे। मैं कुट्टी बाजार से थाने नहीं गयी थी। थाना मैंने दूर से देखा है, थाना रानीपुर। मैने धारा 164 दं०प्र०सं० के बयान में उम्र 18 वर्ष होने को नहीं बताया है। मजिस्ट्रेट महोदय ने कैसे लिख लिया, नहीं मालुम है। मेडिकल कराने अस्पताल नहीं गयी थी। मेडिकल को दिखाते हुए पीड़िता ने कहा कि मेडिकल रिपोर्ट

कैसे तैयार हो गयी, हमें नहीं पता है। पीड़िता को धारा 161 दं०प्र०सं० का बयान पढ़कर सुनाया गया, तो पीड़िता ने कहा, ऐसा कोई बयान दरोगा जी को नहीं दिया था। पीड़िता को 164 दं०प्र०सं० का बयान पढ़कर सुनाया गया तो उसने उस पर कहा कि मैंने ऐसा कोई बयान अदालत पर नहीं दिया हूं। यह मुकदमा मेरे पिता जी ने रंजिश में लिखाया है क्योंकि उन्होंने (मनोज ने) मुझे मार डालने को कहा है। यह कहना गलत है कि मेरे पिता जी ने मुल्जिम से पैसे की मांग की थी। यह कहना गलत है कि मैंने दिनांक 10.07.2018 को मुकेश कुमार ग्राम मदरहा, जिला बाराबंकी से शादी कर लिया है।"

17– अभियोजन की ओर से परीक्षित कराये गये **साक्षी पी० डब्लू०–2 राजदेव उर्फ गुड्डू/वादी मुकदमा** ने अपने मौखिक साक्ष्य में बयान दिया है, ''घटना को लगभग 16 माह हुआ है। पीड़िता मेरी बेटी है, जिसकी उम्र घटना के समय लगभग 14 वर्ष थी। घटना वाले दिन मेरी बेटी कुट्टी बाजार गयी थी। जहां से दिन में करीब 03.00 बजे अभियुक्त मनोज अपने पिता संतोषी व माता मंतरा के सहयोग से आशनाई करने हेतु बहला–फुसला कर भगा ले गया। मेरी बेटी जब घर वापस नहीं आयी, तब मैं अपनी बेटी को तलाश करने लगा। तलाश करने के दौरान मुझे जब जानकारी हुई, तब मैंने घटना के तीसरे दिन एक तहरीर कुट्टी बाजार में घटना के बारे में लिखायी थी। लिखने वाले ने लिखकर मुझे पढ़कर सुनाकर मुझसे निशानी अंगूठा लगाया था। शामिल मिसिल असल तहरीर साक्षी को पढ़कर सुनायी व दिखायी गयी तो उसने उस पर बने अपने हस्ताक्षर की पुष्टि की, जिस पर **प्रदर्श क–3** डाला गया। इस तहरीर को ले जाकर थाने पर दिया, जिसके आधार पर मुकदमा दर्ज हुआ। घटना के चौथे दिन पुलिस ने मेरी लड़की को कुट्टी बाजार से बरामद किया था। बरामद करने के समय मैं भी पुलिस के साथ था। शामिल मिसिल फर्द बरामदगी पीड़िता, साक्षी को पढ़कर सुनायी गयी तो उसने फर्द पर बने निशानी अंगूठा की पुष्टि की, जिस पर प्रदर्श क–1 पहले से पड़ा है।''

बचाव पक्ष की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने कथन किया है, "घटना के समय मेरी पुत्री पीड़िता की उम्र लगभग 19 वर्ष थी। मनोज ने मेरी बेटी को भगाया नहीं था। मैंने यह मुकदमा मनोज पर शक के आधार पर लिखाया था। मैंने मनोज का नाम खेल–खेल में लिखा दिया था। मुझे गांव वालों ने बताया था कि तुम्हारी बेटी को मनोज ले गये होंगे, इसीलिये उनका नाम लिखा दिया। मैं गांव वालों की हर बात नहीं मानता। मैं गांव वालों के कहने पर सबको नहीं फंसाऊंगा। मैं

अपनी लड़की की उम्र स्कूल में 04–05 साल कम लिखाया था। पुलिस ने मेरी लड़की को मेरे घर से बरामद करके थाने ले गयी थी। मेरी लड़की बरामदगी के दो दिन पहले मेरे घर आ गयी थी। घटना की तहरीर किसी और से लिखायी थी। इसे मैंने पढ़ा नहीं था और हस्ताक्षर (निशानी अंगूठा) बना दिया था। जब मैंने लड़की से पूछा कि तुम कहां गयी थी, तो बताया मैं रिश्तेदारी गयी थी। पुलिस ने मेरा कोई बयान नहीं लिया है। लेकिन पुलिस न तो मुझसे कुछ पूछा न बताया, लड़की को लेकर चले गये। मैं एफ०आई०आर० में अपनी लड़की की उम्र नहीं लिखायी थी। मैंने अपनी लड़की की शादी घटना के दो माह बाद बाराबंकी में मुकेश के साथ कर दिया था। मेरी लड़की घटना के समय पूर्ण रूप से बालिग थी और 19 वर्ष की थी। उसे किसी ने भगाया नहीं था।

18– अभियोजन की ओर से परीक्षित कराये गये **साक्षी पी० डब्लू०–3 डा० मधू गैरोला** ने अपने मौखिक साक्ष्य में बयान दिया है, "दिनांक 18.05.2018 को मैं महिला चिकित्सालय, बहराइच में चिकित्साधिकारी के पद पर तैनात थी। उस दिन पीड़िता को महिला आरक्षी शिल्पा द्वारा चिकित्सीय परीक्षण हेतु लाया गया। मैंने महिला की पहचान चिन्ह अंकित करके उसकी निशानी अंगूठा लगाकर प्रमाणित किया था। पीड़िता के बताने के अनुसार उसको चार वर्ष पूर्व से माहवारी शुरू हुई थी। पिछली माहवारी एक माह पूर्व आयी थी। मैंने पीड़िता के बताने के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण अंकित किया था। उसके शरीर पर किसी भी प्रकार के चोट के निशान नहीं थे। वह नहा–धोकर कपड़े बदल कर आयी थी। उसकी शारीरिक व मानसिक अवस्था सामान्य थी। उसके गुप्तांग में भी किसी प्रकार के चोट के निशान नहीं थे। उम्र निर्धारण हेतु उसे एक्स–रे के लिये भेजा। वेजाइनल स्मियर की स्लाईड बनाकर शुक्राणु की जांच के लिए भेजा तथा वेजाइनल स्वाब डी०एन०ए० टेस्ट के लिये भेजा गया। शामिल मिसिल पीड़िता की मेडिकल जांच रिपोर्ट मेरे लेख व हस्ताक्षर में है, जिसकी मैं पुष्टि करती हूं, जिस पर प्रदर्श क–4 डाला गया। पैथोलाजी रिपोर्ट में वेजाइनल स्मियर में कोई भी स्पर्मटेजोआ नहीं मिले। एक्सरे की रिपोर्ट के आधार पर रिस्ट, शोल्डर, एल्बो एवं नी ज्वाइंट तथा मेडिकल इंड व क्राइवकल फर्ड नहीं था। सी०एम०ओ० द्वारा जारी उम्र प्रमाण पत्र के आधार पर पीड़िता की आयु लगभग 18–19 वर्ष बतायी गयी।"

बचाव पक्ष की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने कथन किया है, "डी०एन०ए० की जांच पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। परीक्षण

रिपोर्ट के आधार पर मैं नहीं बता सकती हूं कि पीड़िता के साथ बलात्कार हुआ या नहीं।"

19– अभियोजन की ओर से परीक्षित कराये गये **पी०डब्लू० 4 हे० मो० श्याम बहादुर चौहान** ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि, "दिनांक 17.05.2018 को मैं थाना रानीपुर में का०मो० के पद पर तैनात था। उस दिन वादी मुकदमा राजदेव उर्फ गुड्डू की लिखित तहरीर के आधार पर अपराध संख्या–51/2018 धारा 363,366 भा०दं०सं० समय 16.01 बजे मेरे द्वारा जरिये कम्प्यूटर प्रथमसूचना रिपोर्ट टाइप करके उसकी प्रमाणित प्रति निकाली थी। शामिल मिसिल एफ०आई०आर० मेरे सामने है, जिस पर थाना प्रभारी के हस्ताक्षर हैं, जिसकी मैं पुष्टि करता हूं, जिस पर **प्रदर्श क–5** डाला गया। इस मुकदमे की कायमी जी०डी० व रोजनामचा रपट नं–26, दिनांक 17.05.2018 समय 16.01 बजे मेरे द्वारा जरिये कम्प्यूटर कायम किया गया था और उसकी कापी निकाली थी। शामिल मिसिल जी०डी० की कम्प्यूटर कापी मेरे सामने है, जिसकी मैं पुष्टि करता हूं, जिस पर मेरा हस्ताक्षर है, जिस पर **प्रदर्श क–6** डाला गया।"

बचाव पक्ष की ओर से की गयी प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने कथन किया है, "मेरी उम्र इस समय 38 वर्ष है। मुझे पुलिस विभाग में 2011 में नौकरी मिली थी। मैं थाना दरगाह शरीफ से का०मो० का काम देखने लगा था। दरगा शरीफ में मेरी तैनाती वर्ष 2012 में हुई थी। मैं रानीपुर थाना वर्ष 2018 में गया था। किस महीने मेरी पोस्टिंग रानीपुर में हुई, याद नहीं है। वादी मुकदमा राजदेव को मैं नहीं जानता हूं। घटना की तहरीर वादी मुकदमा लिखित प्रार्थनापत्र लेकर दिनांक 17.05.2018 को थाने पर आया था। उस दिन कौन दिन था, मुझे याद नहीं है। समय 16.01 बजे का था। वादी मुकदमा ने मुझे तहरीर दिया था। थानाध्यक्ष महोदय के मौखिक आदेश पर मैंने मुकदमा पंजीकृत किया। तहरीर बाहर लिखाकर लाया गया था। मुझे नहीं पता तहरीर पर वादी द्वारा निशानी अंगूठा मेरे सामने नहीं लगाया था। वादी को प्रथमसूचना रिपोर्ट की द्वितीय प्रति कम्प्यूटर से निकाल कर दिया था। एफ०आई०आर० की कम्प्यूटरीकृत कापी पर हस्ताक्षर थानाध्यक्ष महोदय ने बनाया था। जी०डी० मैंने तैयार किया था, जिस पर मेरे हस्ताक्षर हैं। यह कहना गलत है कि एफ०आई०आर० मैंने अपने मन से लिख लिया था।"

20– अभियोजन की ओर से परीक्षित कराये गये **साक्षी पी०डब्लू० 5 उ०नि० राम बड़ाई/विवेचक** ने अपने मौखिक साक्ष्य में बयान दिया है, "दिनांक 17.05.2018 को मैं थाना रानीपुर में उपनिरीक्षक के पद पर तैनात था। उस दिन अपराध संख्या 51/2018 धारा 363, 366 भा०दं०सं० की विवेचना मेरे सुपुर्द की गयी थी, जिसकी नकल चिक, नकल एफ०आई०आर० व अन्य प्रपत्र थाना कार्यालय से प्राप्त करके उनका अवलोकन कर केस डायरी में अंकित किया तथा बयान एफ०आई०आर० लेखक का०मो० श्याम बहादुर चौहान, बयान वादी राजदेव उर्फ गुड्डू लेकर केस डायरी में अंकित किया तथा वादी मुकदमा की निशानदेही पर घटनास्थल पर जाकर मौके पर नक्शा नजरी तैयार किया तथा उसमें यथास्थान खसरा अंकित किया। शामिल मिसिल नक्शा नजरी मेरे सामने है, जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है, जिसकी मैं पुष्टि करता हूं, जिस पर **प्रदर्श क–7** डाला गया। दिनांक 18.05.2018 को मुखबिर की सूचना पर कुट्टी बाजार चौराहा से पीड़िता की बरामदगी किया। बरामदगी प्रपत्र तैयार किया, जो शामिल मिसिल है, जिस पर पूर्व से प्रदर्श क–1 पड़ा है। पीड़िता का बयान धारा 161 दं०प्र०सं०, जो महिला आरक्षी द्वारा लिया गया था, उसका अवलोकन कर तथा साक्षी कमला देवी का बयान लेकर सी०डी० में अंकित किया। दिनांक 19.05.2018 को वादी मुकदमा द्वारा पीड़िता की अंकतालिका प्राप्त कर उसका अवलोकन कर सी०डी० में अंकित किया तथा प्रधानाध्यापिका पूनम गौतम का बयान लेकर सी०डी० में अंकित किया। दिनांक 19.05.2018 को ही पाक्सो ऐक्ट की धारा 17/18 की बढ़ोत्तरी की गयी। दिनांक 20.05.2018 को विवेचना में मशरूफ हुआ तथा मुखबिर की सूचना पर चाकूजोत बाजार से मुल्जिम मनोज कुमार वर्मा को गिरफ्तार करके उसका बयान लेकर केस डायरी में अंकित किया। दिनांक 24.05.2018 को पीड़िता का मेडिकल प्रपत्र प्राप्त किया और उसका अवलोकन करके केस डायरी में अंकन किया। दिनांक 26.05.2018 को पीड़िता का बयान मा० न्यायालय पर अंकित कराया। दिनांक 01.06.2018 को पीड़िता के बयान 164 दं०प्र०सं० का अवलोकन कर उसका हवाला केस डायरी में किया तथा दिनांक 04.06.2018 को न्यायालय के आदेश से पीड़िता की सुपुर्दगी हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया, जो नाबालिग होने के नाते उसके पिता के संरक्षण में दी गयी। आदेश का अवलोकन कर उसका हवाला सी०डी० में किया। दिनांक 06.06.2018 को पी़डिता का मजीद बयान लेकर बयान संतोषी वर्मा व

बयान श्रीमती मंतरा लेकर उसका हवाला केस डायरी में अंकित किया। विवेचना में संतोषी तथा मंतरा देवी की नामजदगी गलत पायी गयी, जिस आधार पर नामित व्यक्ति संतोषी व मंतरा देवी का नाम मुकदमे से विलोपित किया गया। अब तक की तमामी विवेचना, बयान वादी गवाहान, निरीक्षण घटनास्थल, अवलोकन मेडिकल रिपोर्ट, बयान धारा 161 दं०प्र०सं० व 164 दं०प्र०सं० तथा अवलोकन शैक्षणिक प्रमाणपत्र पीड़िता के आधार पर अभियुक्त मनोज कुमार वर्मा के विरुद्ध धारा 363,366 भा०दं०सं० व 17/18 पाक्सो ऐक्ट बखूबी साबित होने पर आरोप–पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया। शामिल मिसिल असल आरोप–पत्र मेरे सामने है, जिस पर मेरे हस्ताक्षर है, जिस पर **प्रदर्श क–8** डाला गया।"

बचाव पक्ष की ओर से की गयी प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने कथन किया है, "इस थाने पर मेरी पोस्टिंग सन 2018 में हुई। दिन, तारीख, महीना याद नहीं है। इस मुकदमे की पूरी विवेचना मैंने किया था। घटना दिनांक 15.05.2018 की है तथा सूचना मुझे दिनांक 17.05.2018 को मिली थी। घटना का प्रार्थनापत्र मेरे द्वारा नहीं लिखाया गया था। उपरोक्त घटना की सूचना मिलने पर पीड़िता के घर गया था। पीड़िता के माता–पिता से जब मिला, तब लड़की/पीड़िता मौजूद नहीं थी। पूछताछ करने के बाद भभ्भरपुर चौराहे पर गया था। भभ्भरपुर चौराहे पर लड़की मौजूद मिली। उसके बाद उसके माता–पिता मिले। मेरे साथ एक महिला आरक्षी और एक आरक्षी था। मुझे इसकी जानकारी नहीं है कि कोई और था या नहीं। दिनांक 18.05.2018 को लड़की बरामद किया था। समय केस डायरी में अंकित नहीं है। फर्द बरामदगी में अंकित है। भभ्भरपुर चौराहे से वादी मुकदमा का घर लगभग तीन किमी दूर है। इस चौराहे पर दुकाने भी हैं। लोगों का आना–जाना रहता है। जब लड़की को वहां मिलने की सूचना मिली तो वादी मुकदमा को तुरंत बताया था। फर्द बरामदगी मौके पर ही तैयार किया था। फर्द बरामदगी पर वादी मुकदमा व उसकी पत्नी तथा महिला कांस्टेबल शिल्पा वर्मा के हस्ताक्षर बनवाया था। अन्य पब्लिक का कोई गवाह हस्ताक्षर बनाने के लिये तैयार नहीं हुआ। पीड़िता का 161 दं०प्र०सं० का बयान महिला थाने में महिला कांस्टेबल द्वारा लिया गया था। महिला कांस्टेबल द्वारा लिये गये बयान का अवलोकन किया। 161 दं०प्र०सं० के बयान में पीड़िता ने अपनी उम्र 18 वर्ष बतायी थी। घटनास्थल का नक्शा नजरी बनाया था। पूरब आबादी, पश्चिम चकमार्ग, उत्तर मकान ननके वर्मा तथा दक्षिण मकान वासुदेव

का था। पश्चिम चकमार्ग के बाद गांव की आबादी, मकान अशोक कुमार। भभ्भरपुर चौराहे से कुट्टी बाजार लगभग दो–तीन किमी दूरी पर है। पीड़िता कक्षा पांच तक पढ़ी थी। हस्ताक्षर बनाना जानती थी। पीड़िता की मार्कशीट उसके पिता द्वारा दिया गया था, जिसमें जन्मतिथि 23.06.2004 अंकित है। मैंने इस मार्कशीट के प्रा०वि० भभ्भरपुर से प्रमाणित कराया था। प्रधानाध्यापक का बयान दिनांक 19.05.2018 को लिया था। प्रधानाध्यापक के बयान के बाद व मार्कशीट प्रमाणित कराने के बाद मैंने पाक्सो ऐक्ट की धारा 17/18 की बढ़ोत्तरी किया था। पीड़िता के पिता का बयान दिनांक 18.05.2018 को व पीड़िता की माता का बयान दिनांक 06.06.2018 को लिया था। पीड़िता का मेडिकल दिनांक 18.05.2018 को बयान लेने के बाद जिला अस्पताल महिला कांस्टेबल के साथ रवाना कर दिया था। मेडिकल दिनांक 18.05.2018 व 19.05.2018 को दिन में हुआ था। पीड़िता का 164 दं०प्र०सं० का बयान 26.05.2018 को हुआ था। 164 दं०प्र०सं० के बयान के बाद न्यायालय के आदेश से पीड़िता अपने माता–पिता के साथ चली गयी। पीड़िता ने अपने बयान में अपनी मर्जी से जाना बताया है। मुल्जिम द्वारा भगाया जाना नहीं बताया है। यह कहना गलत है पीड़िता को उसके मां–बाप के यहां से बरामद किया है और मुल्जिम को गलत फंसाया गया है।"

21– अभियोजन की ओर से परीक्षित कराये गये **साक्षी पी०डब्लू० 6 आकांक्षा सिंह, इं० प्रधानाध्यापक प्रा०वि० भभ्भरपुर, थाना रानीपुर, जिला बहराइच** ने अपने मौखिक साक्ष्य में बयान दिया है, "मैं न्यायालय द्वारा सम्मन प्राप्त होने पर पीड़िता की जन्मतिथि से सम्बन्धित मूल अभिलेख प्रवेश पंजिका लेकर आयी हूं। प्रवेश पंजिका के क्रमांक 914 पर विद्यार्थी के कालम में पीड़िता की जन्म तिथि 23.06.2004 अंकित है। पीड़िता के कालम में श्री गुड्डू निवास स्थान के कालम में ग्राम भभरपुर, कैसरगंज तथा एडमिशन तिथि 15.07.2010 कक्षा 01 में प्रवेश की तिथि अंकित है। पीड़िता ने इस विद्यालय में कक्षा एक से पांच तक शिक्षा प्राप्त किया है। प्रवेश पंजिका में कक्षा पांच उत्तीर्ण तिथि 30.03.2015 तथा स्कूल छोड़ने की तिथि 31.03.2015 अंकित है। दिनांक 15..4.2015 को विद्यालय द्वारा खारिजा जारी किया गया है। मैं प्रवेश पंजिका की स्वप्रमाणित प्रति पत्रावली में संलग्न कर रही हूं, जिस पर **प्रदर्श क–9** डाला गया।"

बचाव पक्ष की ओर से की गयी प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने कथन किया है,

"मेरी पहली पोस्टिंग 02.07.2016 को प्रा०वि० रतोघ, जिला बलरामपुर में हुई थी। मेरा स्थानान्तरण बलरामपुर से बहराइच के प्रा०वि० भम्भरपुर में दिनांक 23.09.2023 को हुई थी। इं० प्रधानाध्यापिका के पद पर ज्वाइन किया था। जब मैंने विद्यालय ज्वाइन किया तो, केवल एक शिक्षामित्र शिवप्रताप सिंह कार्यरत थे। मुझे चार्ज हमारे ही न्याय पंचायत के कम्पोजिट स्कूल रत्तापुर के सहायक अध्यापक मालिक यादव द्वारा प्राप्त कराया गया था। जब मैंने विद्यालय में ज्वाइन किया तो विद्यालय की प्रवेश पंजिका के अनुसार पीड़िता की जन्मतिथि 23.06.2004 है। यह मुझे जानकारी नहीं है कि पीड़िता की जन्मतिथि किस आधार पर दर्ज की गयी क्योंकि प्रवेश पंजिका के अतिरिक्त मुझे कोई प्रमाण पत्र नहीं मिला था। चार्ज में प्रवेश रजिस्टर, पत्र व्यवहार रजिस्टर, बैठक पंजिका, एम०डी०एम० से सम्बन्धित पासबुक व अन्य प्रपत्र मिले थे। इस प्रवेश रजिस्टर में अंकित छात्रों के जन्मतिथि के सम्बन्ध में मात्र यही प्रवेश रजिस्टर प्राप्त हुआ है तथा जन्मतिथि से सम्बन्धित कोई प्रमाण पत्र चार्ज में नहीं मिला है। वर्तमान समय में कक्षा–1 में नाम लिखते समय जन्मतिथि से सम्बन्धित बच्चों के अभिभावक द्वारा आधार कार्ड या दिये गये अन्य किसी प्रपत्र के आधार पर जन्मतिथि अंकित करती हूं। आधार कार्ड में जन्मतिथि को जन्म तिथि का आधार मानकर एडमिशन करते हैं। पीड़िता को मैंने कभी नहीं देखा है। प्रवेश पंजिका में पूर्व की प्रधानाध्यापिका रीता श्रीवास्तव का हस्ताक्षर अंकित है। मुझसे पहले पूनम गौतम प्रधानाध्यापिका थी, जो जन्म प्रमाण पत्र से सम्बन्धित प्रमाण पत्र जारी किया था।"

<u>निस्तारण अवधार्य प्रश्न संख्या–1</u>

22– प्रस्तुत मामला पॉक्सो अधिनियम से सम्बन्धित है। अतः सर्वप्रथम पीड़िता के आयु का निर्धारण किया जाना आवश्यक है। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि विवेचक द्वारा पीड़िता को अवयस्क बताते हुए अभियुक्त को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के अपराध अन्तर्गत आरोपित किया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन द्वारा पीड़िता की आयु सिद्ध करने हेतु विद्यालय की प्रवेश पंजिका की स्वप्रमाणित प्रति प्रस्तुत की गई है, जिसमें उसकी जन्मतिथि 23.06.2004 अंकित है। उक्त अभिलेख को प्रधानाध्यापिका पी०डब्लू०–6 द्वारा साबित किया गया है। यद्यपि कि प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी पी०डब्लू०–6 ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि वह घटना के समय विद्यालय में कार्यरत नहीं थीं, उसे यह जानकारी नहीं है कि प्रवेश

पंजिका में जन्मतिथि किस आधार पर अंकित की गई थी तथा विद्यालय में जन्मतिथि के समर्थन में कोई मूल अभिलेख अथवा जन्म प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं था। अतः प्रवेश पंजिका में अंकित जन्मतिथि का स्रोत न्यायालय के समक्ष साबित नहीं किया जा सका। इसके विपरीत, चिकित्सक साक्षी पी०डब्लू०–3 ने रेडियोलॉजिकल परीक्षण के आधार पर पीड़िता की आयु लगभग 18 से 19 वर्ष बताई है। यद्यपि कि रेडियोलॉजिकल परीक्षण से आयु का निर्धारण अनुमानात्मक होता है, तथापि जब विद्यालयीय अभिलेख के मूल आधार का ही विश्वसनीय प्रमाण उपलब्ध नहीं है, तब चिकित्सीय साक्ष्य की उपेक्षा नहीं की जा सकती। इसके अतिरिक्त, वादी मुकदमा पी०डब्लू०–2, जो स्वयं पीड़िता का पिता है, ने प्रतिपरीक्षा में यह तथ्य उद्घाटित किया है कि घटना के समय उसकी पुत्री लगभग 19 वर्ष की थी। इस साक्षी ने यह तथ्य भी स्वीकार किया है कि उसने विद्यालय में आयु वास्तविक से कम लिखवाई थी। विवेचक पी०डब्लू०–5 ने भी प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया कि धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयान में पीड़िता ने अपनी आयु 18 वर्ष बताई थी।

आपराधिक न्यायशास्त्र का स्थापित सिद्धान्त है कि अभियोजन को प्रत्येक आवश्यक तथ्य युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध करना होता है। जहां आयु के सम्बन्ध में शैक्षणिक अभिलेख, चिकित्सीय साक्ष्य तथा मौखिक साक्ष्य परस्पर सामंजस्यपूर्ण न हों और विद्यालयीय अभिलेख के आधार की प्रामाणिकता भी सिद्ध न हो सके, वहां चिकित्सीय साक्ष्य को अभिभावी माना जाएगा।

अतः उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों के समग्र मूल्यांकन के उपरांत न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियोजन पीड़िता की अवयस्कता को साबित करने में असफल रहा है। फलस्वरूप, इस वाद के निर्णय हेतु पीड़िता को वयस्क माना जाता है।

निस्तारण अवधार्य प्रश्न संख्या–2

23– यह अवधार्य प्रश्न इस आशय का विचारणीय है क्या अभियोजन के स्थानीय थाने से सम्बन्धित मुकदमा अपराध संख्या 51/2018 अंतर्गत धारा 363,366 भा०दं०सं० व धारा 17/18 पाक्सो ऐक्ट के मामले में अभियुक्त मनोज कुमार वर्मा द्वारा आरोपित अपराध किया गया है?

उक्त अवधार्य प्रश्न के निस्तारण हेतु यहां विधि व्यवस्था **किन्थूराम बनाम**

छत्तीसगढ़ राज्य [2020(10) एस०सी०सी० 733 (3 जजेज बेंच)], स्टेट आफ यू०पी० बनाम ओमपाल व अन्य [ए०आई०आर० 2018 (एस०सी०) 2072], व **छाया बनाम स्टेट आफ महाराष्ट्र [ए०आई०आर० 2018 (एस०सी०) 3604]** उल्लेखनीय हैं, जिनमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि 'अभियोजन पक्ष को अपने विश्वसनीय साक्ष्य से अभियुक्तगण पर लगाये आरोपों को संदेह से परे साबित करना होता है।'

जहाँ तक अभियुक्त के विरुद्ध धारा 17/18 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अन्तर्गत आरोप का प्रश्न है, न्यायालय द्वारा अवधार्य प्रश्न संख्या–1 के निस्तारण में यह स्पष्ट निष्कर्ष दिया जा चुका है कि अभियोजन पक्ष उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर पीड़िता की अवयस्कता को युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध करने में असफल रहा है तथा घटना के समय पीड़िता बालिग पायी गयी है। चूंकि लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 केवल ऐसे मामलों में लागू होता है, जहां पीड़ित व्यक्ति अधिनियम की धारा 2(1)(d) के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु का बालक या बालिका हो। पीड़ित के बालक अथवा बालिका होने का तथ्य इस अधिनियम के प्रत्येक अपराध का मूल एवं अनिवार्य तत्व है। यदि अभियोजन इस आधारभूत तथ्य को ही संदेह से परे सिद्ध करने में असफल रहता है, तो अधिनियम के अन्तर्गत आरोपित अपराध स्वतः असिद्ध हो जाते हैं।

प्रस्तुत प्रकरण में जब पीड़िता को बालिग माना जा चुका है, तब लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के प्रावधान प्रस्तुत वाद पर लागू नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति में अभियुक्त के विरुद्ध धारा 17/18 पाक्सो अधिनियम के अन्तर्गत आरोप का कोई विधिक आधार शेष नहीं रह जाता है। अतः अभियोजन पक्ष अभियुक्त मनोज कुमार वर्मा के विरुद्ध धारा 17/18 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अन्तर्गत आरोप को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में पूर्णतः असफल रहा है।

24– इसी प्रकार अवधार्य प्रश्न संख्या–1 के निस्तारण में न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँच चुका है कि अभियोजन उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर पीड़िता की अवयस्कता को युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध करने में असफल रहा है तथा घटना के समय पीड़िता बालिग थी। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 363 के

अन्तर्गत दण्डनीय अपराध सिद्ध करने हेतु अभियोजन को यह साबित करना आवश्यक होता है कि पीड़ित व्यक्ति विधि द्वारा निर्धारित आयु से कम था तथा उसे उसके विधिक संरक्षक की अभिरक्षा से उसकी सहमति के बिना अथवा विधिक संरक्षक की अनुमति के बिना ले जाया गया या हटाया गया। अतः पीड़ित का अवयस्क होना धारा 363 भारतीय दण्ड संहिता का अनिवार्य एवं मूलभूत अवयव है।

प्रस्तुत प्रकरण में उपरोक्त वर्णित विश्लेषण से न्यायालय द्वारा पीड़िता को बालिग माना जा चुका है। फलतः विधिक संरक्षक की अभिरक्षा की अवधारणा, जो धारा 361 एवं 363 भारतीय दण्ड संहिता का आधार है, स्वतः समाप्त हो जाती है। जब पीड़िता स्वयं बालिग है, तब उसका अपने अभिभावकों के संरक्षण से बाहर जाना मात्र धारा 363 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत व्यपहरण का अपराध नहीं माना जा सकता।

इस सम्बन्ध में अभियोजन की ओर से ऐसा कोई विश्वसनीय एवं स्वतंत्र साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह साबित हो सके कि अभियुक्त ने किसी विधिक संरक्षक की अभिरक्षा से किसी अवयस्क बालिका को हटाया अथवा ले गया। चूंकि पीड़िता की अवयस्कता ही युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं हो सकी, इसलिए धारा 363 भारतीय दण्ड संहिता का प्रथम एवं अनिवार्य तत्व साबित नहीं होता है।

आपराधिक न्यायशास्त्र का यह स्थापित सिद्धान्त है कि अभियोजन को अपराध के प्रत्येक आवश्यक अवयवों को युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध करना होता है। यदि किसी अपराध का कोई आवश्यक तत्व सिद्ध नहीं होता, तो उस अपराध के लिए दोषसिद्धि नहीं की जा सकती है।

अतः उपरोक्त विश्लेषण से यह न्यायालय इस मत का है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरुद्ध धारा 363 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में पूर्णतः असफल रहा है।

25– यहां अब यह विचारणीय बिन्दु है कि क्या अभियोजन धारा 366 भारतीय दण्ड संहिता के आवश्यक अवयवों को संदेह से परे साबित करने में सफल हुआ है अथवा नहीं।

इस सम्बन्ध में पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि अभियोजन

के सम्पूर्ण कथानक का आधार मुख्य रूप से पीड़िता पी०डब्लू०–1 के साक्ष्य पर आधारित है। पीड़िता/पी०डब्लू०–1 ने अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन करते हुए यह तथ्य स्वीकार किया है कि घटना वाले दिन वह कुट्टी बाजार गयी थी, जहां उसे अभियुक्तगण मिले एवं उसे वे लोग जबरदस्ती पकड़ कर मोटरसाइकिल पर बैठा लिये एवं रमवापुर ले गये। परन्तु प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसने धारा 161 एवं धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत दिए गए कथन अभियुक्त मनोज की धमकी एवं भय के कारण दिए थे तथा वे कथन उसकी इच्छा के अनुरूप नहीं थे। इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षा में यह तथ्य भी उद्घाटित किया है कि उसने स्वयं प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाई थी, परन्तु बाद में यह भी कहा कि उसने मुकदमा थाने जाकर नहीं लिखवाया था। उसने यह भी कहा कि वह अपने माता–पिता के साथ थाने नहीं गयी थी तथा उसके पिता उसे थाने नहीं ले गये थे।

चूंकि यह साक्षी प्रस्तुत प्रकरण की पीड़िता है एवं इसकी प्रतिपरीक्षा में अभियोजन पक्ष यह तथ्य उद्घाटित नहीं करा सका है कि अभियुक्त मनोज पीड़िता को उसकी इच्छा के विरुद्ध, विवाह करने के आशय से अथवा अयुक्त संभोग करने को विवश , विलुब्ध अथवा उत्प्रेरित किया हो। इस साक्षी के साक्ष्य में मुख्य परीक्षा में भी ऐसा कोई अभिकथन नहीं किया गया है, जिससे यह तथ्य साबित हो सके कि अभियुक्त द्वारा पीड़िता को मोटरसाइकिल पर ले जाने का आशय धारा 366 भा०दं०सं० में वर्णित अवयवों के अनुरूप रहा हो। प्रतिपरीक्षा भी में इस साक्षी ने ऐसा कोई तथ्य उद्घाटित नहीं किया है, जिससे अभियोजन कथानक उपरोक्त आरोप के परिप्रेक्ष्य में युक्तियुक्त संदेह से परे साबित हो सके।

चूंकि उपरोक्त साक्ष्यिक विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि पीड़िता द्वारा अपने साक्ष्य में विरोधाभासी तथ्य उद्घाटित किया है। इस सम्बन्ध में विधि व्यवस्था **कृष्णा मोची बनाम बिहार राज्य [2002 सी०आर०एल०जे० (एस०सी०) 2645]** उल्लेखनीय है, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह मत अवधारित किया है कि प्रत्येक मामले में कुछ न कुछ विरोध आना स्वाभाविक है। न्यायालय को यह देखना है कि यह विरोधाभास, इतना मटैरियल तो नहीं है कि न्यायालय को अभियोजन कथानक संदिग्ध प्रतीत होता हो।

इसी प्रकार वादी मुकदमा एवं पीड़िता के पिता पी०डब्लू०–2 का साक्ष्य

भी अभियोजन कथानक को पुष्ट नहीं करता है क्योंकि उनके द्वारा प्रतिपरीक्षा में स्पष्ट रूप से यह तथ्य स्वीकार किया गया है कि घटना के समय पीड़िता लगभग 19 वर्ष की थी। अभियुक्त द्वारा उसे भगाया नहीं गया था तथा उसने संदेहवश अभियुक्त का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित कराया था। इस साक्षी ने यह तथ्य भी स्वीकार किया कि घटना के लगभग दो माह बाद उसने पीड़िता का विवाह अन्य व्यक्ति से कर दिया। यदि वास्तव में अभियुक्त द्वारा पीड़िता का बलपूर्वक अपहरण किया गया होता अथवा उसे विवाह अथवा अवैध यौन सम्बन्ध के उद्देश्य से ले जाया गया होता, तो वादी का इस प्रकार का कथन अभियोजन के मूल कथानक से पूर्णतः असंगत प्रतीत होता है।

इसी प्रकार अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्षी पी०डब्लू०–3 की मुख्य परीक्षा के अनुसार, जिसमें उसके द्वारा मेडिकल रिपोर्ट को प्रदर्श क–4 के रूप में साबित करते हुए कथन किया गया है कि पीड़िता के शरीर अथवा जननांग पर किसी प्रकार की बाह्य अथवा आन्तरिक चोट नहीं पायी गयी। पैथोलॉजी रिपोर्ट में भी उसके जननांगो पर कोई शुक्राणु नहीं पाए गए।

इसी प्रकार बचाव पक्ष के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में विवेचक पी०डब्लू०–5 के साक्ष्य का विश्लेषण करने से यह स्पष्ट होता है कि विवेचक/पी०डब्लू०–5 द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में विवेचना के दौरान की गई कार्यवाहियों का उल्लेख किया है, तथापि उसकी प्रतिपरीक्षा से यह स्पष्ट होता है कि विवेचना के दौरान ऐसा कोई स्वतंत्र प्रत्यक्षदर्शी अथवा परिस्थितिजन्य साक्ष्य संकलित नहीं किया गया, जिससे यह संदेह से परे सिद्ध हो सके कि अभियुक्त ने बल, भय, प्रलोभन अथवा छल का प्रयोग कर पीड़िता को उसकी इच्छा के विरुद्ध अपने साथ ले जाकर विवाह करने के लिए विवश करने अथवा अवैध यौन सम्बन्ध स्थापित करने के उद्देश्य से अपने साथ रखा।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि विनिश्चय **राजाराम बनाम मरूथाचलम** [2023(1)IBC Law.in 08 SC] में यह अवधारित किया गया है कि आपराधिक मामलों में न्याय निर्णयन इस सिद्धांत पर आधारित होता है कि अभियुक्त को निर्दोष माना जाता है और अभियुक्त का अपराध पूरी तरह साबित होना चाहिए और सबूत सभी उचित संदेह से परे होना चाहिए।

26– अतः उपरोक्त विधि विनिश्चयों में पारित सिद्धांतों एवं उपरोक्त

अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य विश्लेषण से स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण में पीड़िता/पी०डब्लू०–1 के मुख्य परीक्षा एवं प्रतिपरीक्षा में महत्वपूर्ण विरोधाभास हैं तथा वादी मुकदमा/पी०डब्लू०–2 द्वारा अभियोजन के मूल कथानक का समर्थन नहीं किया गया है एवं अभियोजन के अन्य साक्षियों द्वारा भी ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जो पीड़िता के कथनों का स्वतंत्र समर्थन कर सके। अतः अभियोजन पक्ष अभियुक्त मनोज कुमार वर्मा के विरुद्ध धारा 366 भारतीय दण्ड संहिता के आवश्यक अवयवों को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है।

27– इसी प्रकार अभियोजन की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो ऐक्ट) द्वारा यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि पीड़िता ने धारा 164 दं०प्र०सं० के बयान में पीड़िता द्वारा कथन किया गया है कि "*मेरा नाम––––––– ससुराल में रह रही थी।*" अतः पीड़िता के इस बयान के आधार पर उपरोक्त अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जाये।

जबकि बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस तर्क के खण्डन में कहा गया कि धारा 164 दं०प्र०सं० का बयान मात्र एक पूर्व कथन है, जिसे खण्डन अथवा सम्पोषक साक्ष्य के रूप में प्रयोग किया जा सकता है और उक्त बयान एक सारवान साक्ष्य नहीं है। अतः मात्र धारा 164 दं०प्र०सं० के बयान के आधार पर ही दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता है।

इस सम्बन्ध में विधि व्यवस्था **उत्पल दास व अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य [2010 एस०सी० 1894]** उल्लेखनीय है, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया कि धारा 164 द०प्र०सं० का बयान सारवान साक्ष्य नहीं है, बल्कि साक्षी का पूर्व कथन है, जिसका प्रयोग साक्षी के बयान की पुष्टि अथवा खण्डन के उददेश्य से ही किया जा सकता है।

यह विधि सिद्वान्त प्रस्तुत प्रकरण में पूर्ण रूपेण प्रभावी होता है, क्योंकि इसमें भी पीड़िता के धारा–164 दं०प्र०सं० के बयान के अतिरिक्त अन्य कोई भी साक्ष्य उपरोक्त अभियुक्त के विरूद्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में अभियोजन पक्ष से प्रस्तुत उपरोक्त तर्क में कोई बल नहीं होने के कारण स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

28– उपरोक्त सम्मानित विधि व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में इस विशेष सत्र

परीक्षण में पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्यों के उपरोक्त साक्ष्यिक संवीक्षा व विश्लेषण के उपरान्त न्यायालय की राय में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों से अभियोजन कथानक की सम्पुष्टि नहीं हो रही है, जिस कारण अभियोजन पक्ष अभियुक्त मनोज कुमार वर्मा के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 363,366 भा०दं०सं० व 17/18 पाक्सो ऐक्ट के आरोपित अपराध को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में पूर्णतयाः असफल रहा है, जिसका लाभ अभियुक्त को प्रदान किया जाना न्यायोचित है।

29– तद्नुसार अभियुक्त मनोज कुमार वर्मा, धारा 363,366 भा०दं०सं० व 17/18 पाक्सो ऐक्ट के आरोप से संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

आदेश

1– विशेष सत्र परीक्षण संख्या–79/2018 अपराध संख्या–51/2018, सरकार बनाम मनोज कुमार वर्मा, थाना–रानीपुर, जनपद बहराइच में आरोपित अभियुक्त मनोज कुमार वर्मा को धारा 363,366 भा०दं०सं० व धारा 17/18 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के आरोप में युक्तियुक्त संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया जाता है।

2–अभियुक्त के बंधपत्र निरस्त किये जाते है तथा उसके जामिनदारों को उनके दायित्वों से मुक्त किया जाता है।

3– धारा 437(ए) दं०प्र०सं० के तहत दी गयी जमानतें इस निर्णय के दिनांक से छः माह तक के लिए प्रभावी रहेगी।

4– बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक 16.07.2026

(अनिल कुमार XII)
अपर सत्र न्यायाधीश, एफ०टी०सी०–द्वितीय/
रेप एवं पाक्सो ऐक्ट, कोर्ट नं०–1, बहराइच।
JO Code–UP1830

यह निर्णय व आदेश आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके सुनाया गया।

दिनांक 16.07.2026

(अनिल कुमार XII)
अपर सत्र न्यायाधीश, एफ०टी०सी०–द्वितीय/
रेप एवं पाक्सो ऐक्ट, कोर्ट नं०–1, बहराइच।

JO Code–UP1830